राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि./ग्रुप–8/वी.सी/2021 जयपुर, दिनांक :– 25/08/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में उत्तरी पश्चिमी भवन के समिति कक्ष में दिनांक 05.08.2021 को प्रातः 11.30 बजे योजना प्रभारी/अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी/प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें शासन सचिव–पंचायती राज, शासन सचिव–ग्रामीण विकास एवं आयुक्त–महात्मा गांधी नरेगा बैठक में उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण विकास में संचालित योजनाओं की विस्तृत चर्चा कर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये।

- पंचायती राज विभाग में पुनर्गठन के दौरान नयी पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। जिनमें भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण में विलम्ब के कारणों के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये कि कन्वर्जेन्स से कार्य शीघ्र करवाने हेतु जिला स्तर पर निर्देश प्रदान किये जावें एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही भी शीघ्रता से की जावे।
- ग्राम पंचायत भवन निर्माण के संबंध में गत वर्षों में तैयार किये जा रहे भवन निर्माण की डिजाईन के अतिरिक्त नयी डिजाईन के भवन निर्माण का नक्शा तैयार करने के भी निर्देश दिये गये।
- पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत संचालित राजीव गांधी जल संचय योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स से कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
- प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी किये जाने के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित परिवारों की वरीयता निर्धारण कर कार्य 30 सितम्बर 2021 तक पूर्ण करने हेतु टाईम लाईन निर्धारित की जावे। साथ ही जिलों में ब्लॉक स्तर पर आमजन को डिजाईन के प्रारूप के रूप में तैयार किये गये प्रोटोटाईप आवासों का उपयोग करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत डीपीआर में शामिल कार्यों में नव गठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण हेतु कन्वर्जेन्स के रूप में सीजीएफ की राशि का उपयोग/प्रावधान करने के निर्देश दिये गये।

BL-

- वर्षवार **विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना में बकाया राशि/यूसीसीसी** की जिलेवार रिपोर्ट तैयार कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यूसीसीसी की समीक्षा बाबत बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त फण्ड की डिमाण्ड हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- क्षेत्रीय योजनाएं यथा डांग, मगरा एवं मेवात में जिन जिलों में कार्य स्वीकृत नहीं है एवं पीडी खाते में राशि शेष है, उस राशि को अन्य जिलों में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये।
- स्व–विवेक जिला विकास योजना को बंद करने के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(बाबूलाल वर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्रावि।
6 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
7 परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी (प्रथम/द्वितीय)/मो. एवं मू, ग्रामीण विकास।
8 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
9 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
10 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)